परिशिष्ट – I (पैराग्राफ 1.3 के संदर्भ में)

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का संक्षिप्त परिचय

1. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)

परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, उद्योग के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग और बुनियादी अनुसंधान के विकास में लगा हुआ है। विभाग नाभिकीय ऊर्जा/अनुसंधान रिएक्टरों के डिजाइन, निर्माण और संचालन अन्वेषण, परमाणु खनिज के खनन और प्रसंस्करण, भारी पानी, परमाणु ईंधन निर्माण, ईंधन पुनर्प्रसंस्करण और परमाणु कचरा प्रबंधन के उत्पादन को शामिल करते हुए नाभिकीय ईंधन चक्र प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने में जुटा हुआ है। यह अपने संस्थानों के माध्यम से बुनियादी विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी, कैंसर अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का भी समर्थन करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹11,981.76 करोड़ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियाँ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारी पानी बोर्ड, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

2. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)

अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के दोहन हेतु देश के कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष विभाग और उसकी घटक इकाईयों राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रक्षेपण वाहन, ध्वनि करने वाले रॉकेट और संबद्ध ग्राउंड प्रणालियों के विकास शामिल हैं। यह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और विकास अनुप्रयोगों की जरूरत के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट) कार्यक्रम संचालित करता है। अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से संबंधित मामलों को भी देखता है। वर्ष 2012-13 के दौरान अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया गया व्यय ₹4,856.28 करोड़ था। अंतरिक्ष विभाग की गतिविधियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आदि जैसी अपनी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं।

3. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) अच्छी तरह से एकीकृत कार्यक्रम के माध्यम से मानसून और अन्य मौसम/जलवायु मापदंडों, सागर की स्थिति, भूकंप, सुनामी और पृथ्वी प्रणाली से संबंधित अन्य घटनाओं की भविष्यवाणी में बेहतरीन सेवाओं को देश को प्रदान करने के लिए अधिदिष्ट है। एम.ओ.ई.एस. सागर के संसाधनों (सजीव और निर्जीव) की खोज और दोहन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भी संबंधित है, और अंटार्कटिक/आर्कटिक और दक्षिणी महासागर अनुसंधान के लिए एक नोडल भूमिका निभाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान एम.ओ.ई.एस. द्वारा किया गया व्यय ₹1,177.14 करोड़ था। एम.ओ.ई.एस. की गतिविधियों को भारतीय मौसम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाता है।

4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय और योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में वनस्पति, प्राणी, वन और वन्य जीव का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम और वनीकरण एवं अवक्रमित क्षेत्रों का पुनर्जनन आदि शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रदूषण की रोकथाम और कमी में भी लगा हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण उन्मुख कार्यक्रमों में देश का नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2012-13 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹1,996.69 करोड़ था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गतिविधियों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वानिकी अनुसंधान एवं भारतीय शिक्षा परिषद, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

एम.एन.आर.ई. का व्यापक उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना और तैनात करना है। एम.एन.आर.ई. जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन के पूरक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (जैव, पवन, पनबिजली, सौर, ज्वार और भूतापीय) के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। मंत्रालय का लक्ष्य अनुसंधान, डिजाइन, विकास, निर्माण की सुविधा प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, सामग्री, उपकरणों उप प्रणालियों, उत्पादों और सेवाओं का विकास करना तथा परिवहन, पोर्टेबल और स्थिर अनुप्रयोगों के लिए इन ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की तैनाती ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में करना है। वर्ष 2012-13 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा किया गया व्यय ₹1,243.72 करोड़ था। एम.एन.आर.ई. की गतिविधियों को सौर ऊर्जा केंद्र, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रण में तीन विभाग हैं।

6.1 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.)

डी.बी.टी. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, प्रदर्शनों के माध्यम से देश में जैव प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, पशु विज्ञान, पर्यावरण और उद्योग में प्रमुख क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के लिए ढांचागत सुविधाओं के निर्माण के लिए अधिदिष्ट है। विभाग विश्वविद्यालय और उद्योग पारस्परिक विचार-विमर्श, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और जैव सुरक्षा दिशा-निर्देश बनाने और सेल आधारित टीके निर्माण और प्रयोग करने में लगी हुई है। वर्ष 2012-13 के दौरान डी.बी.टी. द्वारा किया गया व्यय ₹1,282.84 करोड़ था। डी.बी.टी. की गतिविधियाँ इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान, सेल विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

6.2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गतिविधियों का आयोजन करने, समन्वय करने और उसको बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए, अपने अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण स्वयं करने या आर्थिक रूप से प्रायोजित करने, अनुसंधान डिजाइन और विकास और अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक संघों और निकायों की सहायता के लिए जिम्मदार रहा है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए व्यय का परिमाण ₹2,524.22 करोड़ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की गतिविधियां प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, रमन अनुसंधान संस्थान, सर्वे ऑफ इण्डिया आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।

6.3 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)

डी.एस.आई.आर. का प्राथमिक प्रयास उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और उच्च व्यावसायिक क्षमता के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास के लिए छोटे/मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक वृहत अंश का समर्थन करना है। विभाग प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास के व्यावसायीकरण के माध्यम, समग्र निर्यात में प्रौद्योगिकी, गहन निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने, औद्योगिक परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत बनाने के लिए देश में वैज्ञानिक और औद्यागिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। यह भी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच एक कड़ी स्थापित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान डी.एस.आई.आर. द्वारा किया गया व्यय ₹2,945.66 करोड़ था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डी.एस.आई.आर. द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है, जिसमें नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आदि के जैसी 39 प्रयोगशालाओं शामिल हैं। ये शोध प्रयोगशालाएँ एयरोस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा धातु, खनिज आदि के क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करती हैं।

7. जल संसाधन मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.)

जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और कार्यक्रमों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई और भू-जल संसाधनों के विकास सहित जल संसाधन के क्षेत्र में समग्र योजना, नीति निर्माण, समन्वय और मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राज्यों के बीच नदी जल वितरण और नदियों के जल पर पड़ोसी देशों के साथ वार्ता के संबंधी विवादों में मध्यस्थता और सरलीकरण में शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परिनियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय ₹1,055.59 करोड़ था। जल संसाधन मंत्रालय अंतर्राज्यीय नदियों में बाढ़ का पूर्वानुमान और चेतावनी तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बाढ़ नियंत्रण मास्टर प्लान की तैयारी के लिए केंद्रीय नेटवर्क के संचालन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करता है।

परिशिष्ट – II (पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई अनुपालन लेखापरीक्षा से लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
2010-11 का 17	2.1	वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की एक योजना की विफलता	एम.ओ.ई.एफ.
	2.2	विकासशील वन संसाधनों के उद्देश्य की गैर उपलब्धि	
	3.1	भारत में जैव विविधता का विनियमन	
	3.2	जैव विविधता सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की भूमिका	
	4.1	इकोसिटी कार्यक्रम के उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	4.2	चमड़े के कारखानों के कारण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्यों की गैर उपलब्धि	
	5.1	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली की गतिविधियां	
2011-12 का 16	5.1	एक जलयान के नवीनीकरण पर बेकार खर्च	एम.ओ.ई.एस.
	13.1	सॉफ्टवेयर उपयोग न होने के कारण निष्फल व्यय	एम.एन.आर.ई.
	15.2	कचरे के सुरक्षित निपटान के माध्यम से बिजली के उत्पादन की परियोजनाओं का कमजोर कार्यान्वयन	डी.एस.आई.आर.
	15.3	एक परियोजना के उद्देस्यों की गैर-प्राप्ति	
	19.1	एक लाइनेक ट्यूब के विकास पर निष्क्रिय निवेश	डी.ओ.एस.
	19.2	विद्युत शुल्क और उपकर का परिहार्य भुगतान	

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
2012-13 का 4	पृथक एकल रिपोर्ट	देवास के साथ संकर उपग्रह डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा समझौते पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	डी.ओ.एस.
2012-13 का 13	10.1	₹3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	डी.ए.ई.
	11.1	मांग शुल्क का परिहार्य व्यय	डी.ओ.एस.
2013 का 21	पृथक एकल रिपोर्ट	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भारत में प्रतिपूरक वनरोपण पर प्रतिवेदन	एम.ओ.ई.एफ.
2013 का 22	2.1	समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राह्य व्यय	डी.ए.ई.
	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	
	3.1	एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम	डी.ओ.एस.
	3.2	भारतीय प्रशासन समन्वित एक कक्षीय स्लॉट में एक विदेशी उपग्रह की पार्किंग	
	3.3	माल के विलम्बित बीमा एवं असुरक्षित परिवहन के कारण घाटा	
	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	डी.एस.आई.आर.
	4.2	निष्फल व्यय	
	5.1	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	डी.एस.टी.
	5.2	परिवहन भत्ते का अग्राह्य भुगतान	
	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का सृजन तथा उन्नयन	एम.ओ.ई.एफ.

प्रतिवेदन सं. एवं वर्ष	पैरा सं.	विषय	मंत्रालय/विभाग
	7.1	फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.
	8.1	पेंशन योजना की अनियमित प्रस्तावना तथा धनराशि का व्ययवर्तन	एम.ओ.ई.एस.

परिशिष्ट – III (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2012-13 में दिए गए अनुदान की राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग		
1.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	2.37
2.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	30.48
3.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	44.66
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	398.19
5.	टाटा स्मारक केंद्र, मुंबई	212.51
6.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	227.22
7.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	18.36
8.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	220.00
9.	साह्य नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	93.62
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
10.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुडगांव	**
11.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	**
12.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पूणे	**
13.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, नई दिल्ली	**
14.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, त्रिवेंद्रम	**
15.	डी.एन.ए. अंगुलिदाव एवं डाग्नोस्टीक केंद्र, हैदराबाद	**
16.	जैव संसाधन तथा सतत् विकास संस्थान, इम्फाल	**
17.	जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	**
18.	ट्रांस्लेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	**
19.	यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदाबाद	**

20.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और जैव प्रसंस्करण इकाई, मोहाली	**
21.	स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर	**
22.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
23.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान, नैनीताल	14.05
24.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	19.38
25.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली	4.50
26.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	17.98
27.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	10.79
28.	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, नई दिल्ली	0.20
29.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	20.53
30.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	14.17
31.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	19.46
32.	आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	14.05
33.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई	28.02
34.	रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	34.80
35.	सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बंगलौर	6.00
36.	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	49.01
37.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर	50.35
38.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर	6.67
39.	जवाहर लाल नहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलौर	49.02
40.	बसु संस्थान, कोलकाता	95.40
41.	इंडियन एसोसिएसन फोर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता	54.86
42.	बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	30.04
43.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्थान, कोलकाता	6.06
44.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	15.67

45.	राष्ट्रीय इनोवेशन फाउण्डेशन, अहमदाबाद	10.12
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
46.	कंसल्टेंसी विकास केन्द्र, नई दिल्ली	3.16
अंतरिक्ष विभाग		
47.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	2.10
48.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	64.83
49.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरूपति	14.03
50.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	55.89
51.	सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला, चंडीगढ़	61.20
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
52.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	136.67
53.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे	153.46
54.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री जानकारी सेवायें केंद्र, हैदराबाद	72.17
55.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा	236.21
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
56.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	25.50
57.	गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा	11.40
58.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	10.50
59.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	110.25
60.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	7.35
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
61.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई*	20.00
62.	सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	15.00
	कुल	**2,818.26**

* नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा की जाती है, तथापि लेखापरीक्षा एक अध्यारोपित प्रकृति की है।

** जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट – IV (पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	99-2000	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
	2003-04	4	4.50
	2004-05	10	122.07
	2005-06	15	19.35
	2006-07	49	93.44
	2007-08	47	406.48
	2008-09	38	381.81
	2009-10	43	764.26
	2010-11	62	803.82
	2011-12	245	2,012.28
कुल		540	4,653.86
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य		
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	विवरण उपलब्ध नहीं		
अंतरिक्ष विभाग	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1993-94	1	0.10
	1998-99	1	0.20
	99-2000	2	1.30
	2000-01	3	34.87
	2001-02	5	60.91
	2002-03	11	162.75
	2003-04	15	198.48
	2004-05	13	218.74
	2005-06	23	101.61
	2006-07	16	25.88
	2007-08	13	40.30
	2008-09	15	150.94
	2009-10	38	176.72
	2010-11	31	111.55
	2011-12	42	100.63
कुल		**252**	**1,393.47**
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-84	9	0.72
	1984-85	25	44.47
	1985-86	19	5.51
	1986-87	15	7.95
	1987-88	37	39.80
	1988-89	43	140.90
	1989-90	69	84.41
	1990-91	39	251.23
	1991-92	6	83.82

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1992-93	20	205.27
	1993-94	19	104.60
	1994-95	14	53.88
	1995-96	45	212.35
	1996-97	38	55.24
	1997-98	53	229.19
	1998-99	45	583.04
	99-2000	41	694.22
	2000-01	35	187.09
	2001-02	20	131.16
	2002-03	11	17.37
	2003-04	51	104.83
	2004-05	39	711.00
	2005-06	57	442.64
	2006-07	50	786.49
	2007-08	94	1,461.19
	2008-09	68	1,268.09
	2009-10	80	841.67
	2010-11	264	5,130.53
	2011-12	274	11,807.14
कुल		**1,580**	**25,685.80**
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1981-82	15	5.79
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6,531.00
	1988-89	359	2,543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1,439.00
	1992-93	216	736.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1993-94	64	74.18
	1994-95	83	167.88
	1995-96	82	174.18
	1996-97	305	1,058.36
	1997-98	156	557.99
	1998-99	316	758.70
	99-2000	300	1,234.98
	2000-01	327	797.95
	2001-02	355	1,006.82
	2002-03	308	944.23
	2003-04	382	1,321.76
	2004-05	372	1,569.67
	2005-06	291	1,434.86
	2006-07	281	1,801.41
	2007-08	292	2,410.71
	2008-09	241	1,973.48
	2009-10	198	7,957.95
	2010-11	182	43,833.32
	2011-12	448	53,768.32
कुल		**6,996**	**1,35,775.49**
नवीन एवं नवीकर्णीय ऊर्जा मंत्रालय	2005-06	1	3.34
	2006-07	1	2.00
	2007-08	8	27.56
	2008-09	13	263.14
	2009-10	41	799.56
	2010-11	92	2,544.69
	2011-12	178	12,763.24
कुल		**334**	**16,403.53**
जल संसाधन मंत्रालय	1986-87	3	12.50
	1987-88	1	4.04
	1988-89	2	4.23
	1989-90	1	0.50

मंत्रालय/विभाग	अवधि जो अनुदान से संबंधित है	मार्च 2012 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	1990-91	3	7.17
	1991-92	3	6.56
	2000-01	1	3.34
	2001-02	2	40.00
	2006-07	5	36.53
	2007-08	13	81.98
	2008-09	50	780.17
	2009-10	48	374.52
	2010-11	91	1,683.34
	2011-12	56	763.95
कुल		**279**	**3,798.83**
कुल योग		**9,981**	**1,87,710.98**

परिशिष्ट– V (पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

वर्ष 2012-13 के दौरान अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएं जिस कारण से									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्रेशिया अदायगी	
	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि	मसलों की सं.	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	24	10.50	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	1	0.003	1	0.003	-	-	-	-
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	शून्य									
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	4	0.80	2	11.14	-	-
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	शून्य									
जल संसाधन मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
कुल	**-**	**-**	**1**	**0.003**	**29**	**11.303**	**2**	**11.14**	**-**	**-**

परिशिष्ट – VI (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की मार्च 2014 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	2012-13 का 13	10.1	₹3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	15
2.	2012-13 का 9	एकल	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा	15
3.	2013 का 22	2.1	समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राह्य व्यय	2
4.	2013 का 22	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	2
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
5	2007 का 13	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में आंतरिक नियंत्रण	**78**
6	2013 का 22	5.1	कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय	**2**
7	2013 का 22	5.2	परिवहन भत्ते का अग्राह्य भुगतान	**2**
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
8	2013 का 22	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	**2**
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
9.	2013 का 22	8.1	पेंशन योजना की अनियमित प्रस्तावना तथा धनराशि का व्ययवर्तन	**2**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
10.	2011-12 का 21	एकल	भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा	**22**
11.	2013 का 22	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का सृजन तथा उन्नयन	**2**
12.	2013 का 21	एकल	भारत में प्रतिपूरक वन रोपण	**2**
जल संसाधन मंत्रालय				
13.	2013 का 22	7.1	फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख	**2**

परिशिष्ट – VII (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी की मार्च 2014 में संक्षिप्त स्थिति – ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग				
1.	1999 का 5	2.4	निष्क्रिय उपकरण	4
2.	2001 का 5	5.4	निष्फल व्यय (संख्या 5.19 से 5.22)	11
3.	2001 का 5	5.5	लेखापरीक्षा के इंसटांस पर वसूली	5
4.	2002 का 5	9.1	उपेक्षा के कारण परिहार्य व्यय	5
5.	2008 का 19 (पी.ए.)	एकल	भारी पानी संयंत्रक के ईंधन का प्रबंधन	45
6.	2008-09 का सी.ए.-16	2.5	विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की गैर स्थापना	2
7.	2010-11 का पी.ए.-13	एकल	भंडारों की प्राप्ति व वस्तुसूची प्रबंधन	2
जैव प्रौद्योगिकी विभाग				
8.	2003 का 5	3.1	डी.बी.टी. का रिव्यू	124
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
9.	2004 का 5	3.1	प्रौद्योगिकी, सूचना फॉरकास्टिंग एवं मूल्यांकन परिषद का रिव्यू	8
10.	2005 का 5	5.1	जीटीएस-दो सौ वर्षीय समारोह के दौरान निष्फल व्यय	101
11.	2006 का 1	3	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्य	52
12.	2008 का सीए-3	5.1	निष्फल व्यय	38
13.	2008-09 का सीए-16	5.1	प्रौद्योगिकी विकास के बावजूद भी देय की वसूली न होना	39
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग				
14.	1996 का 6	5.2	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का रिव्यू	2
15.	1998 का 5	2.1	सीएसआईआर के मैन पावर लेखापरीक्षा का रिव्यू	156

16.	1998 का 5	2.3	औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, लखनऊ	6
17.	2001 का 5	3.2	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	14
18.	2005 का 5	6.1	निष्फल व्यय	84
19.	2007 का 2	13.1	सेवाकर की गैर वसूली	6
20.	2008-09 का सीए-16	4.1	परियोजना की अल्प समाप्ति पर निजी कम्पनियों से बकाया देय राशि की गैर वसूली	45
21.	2008-09 का सीए-16	4.2	लेखापरीक्ष के उदाहरण पर बकाया देय राशि की वसूली	20
22.	2008-09 का सीए-16	4.4	खनिज तथा सामाग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधियां	4
अंतरिक्ष विभाग				
23.	2011-12 का सीए-16	19.2	विद्युत शुल्क एवं उपकर का परिहार्य भुगतान	15
24.	2010-11 का 21	एकल	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की गतिविधियां	4
25.	2013 की 22	3.3	माल के विलम्बित बीमा एवं असुरक्षित परिवहन के कारण घाटा	2
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय				
26.	2007 का 2 (टीए)	5.1	निष्फल व्यय	16
27.	2008 का सीए-3	7.1	लेखाकरण एवं कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	14
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
28.	1998 का 5	9.1	आईसीएफआरई देहरादून की समीक्षा	27
29.	2001 का 3बी	1.0	जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण विधि का लागू करना	7
30.	2002 का 5	3.1	जैड एस आई की समीक्षा	12
31.	2003 का 5	10.1	ब्याज का परिहार्य भुगतान और आयकर की वापसी की अप्राप्ति	23
32.	2006 का 18 (पी.ए.)	एकल	बाघ संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का संरक्षण एवं बचाव	38
33.	2008 का सीए-3	6.1	विद्यार्थी पारगमन छात्रावास के निर्माण में विवेकहीन निर्णय	16

34.	2008-09 का सीए-16	6.1	ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता	22
35.	2008-09 का सीए-16	6.2	परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान	23
36.	2010-11 का 17	2.1	वृक्षारोपण बढ़ाने की योजना में असफलता	9
37.	2010-11 का 17	2.2	वन संसाधन का विकसित करने का उद्देश्य प्राप्त न होना	31
38.	2010-11 का 17	3.2	जैविक विविधता संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में बीएसआई की भूमिका	13
39.	2010-11 का 17	4.2	चमड़े की टैनरियों द्वारा पैदा किए प्रदूषण के नियंत्रण के उद्देश्यों की अनुपलब्धि	21
40.	2010-11 का 17	5.1	प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की गतिविधियां	4
जल संसाधन मंत्रालय				
41.	2010-11 का 4	एकल	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा	16

परिशिष्ट VIII (पैराग्राफ 3.1 के संदर्भ में)

इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस एवं बोस संस्थान द्वारा किए गए विधिक शुल्क के कपटपूर्ण भुगतान का विवरण

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता								
2006 की रिट याचिका सं. 19720(डबल्यू) (मोली विश्वास, याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ व अन्य)								
1.	25.09.2008	18.05.06, 19.05.06, 12.07.06, 17.08.06, 19.09.06, 20.12.06, 22.12.06, 19.03.07, 29.03.07, 24.04.07, 15.05.07, 07.06.07, 17.07.07, 14.08.07, 11.12.07, 12.12.07, 14.12.07, 19.12.07	1.21	18	-	-	-	मुकदमा 25.08.2006 को दायर किया गया था। इसलिए, विपत्र में 25.08.2006 से पहले की उल्लेख की गई तिथियाँ गलत थीं। इसके अलावा, मुकदमे के संबंध में दिनांक 06.11.2006 का केवल एक आदेश था।
2010 की रिट याचिका सं. 3917(डबल्यू)। डॉ. पूषन मजूमदार – बनाम - भारत संघ एवं 11 अन्य सदृश्य मुकदमे								
2.	10.03.2010	03.03. 10	6.06	1	-	-	-	3 मार्च 2010 को सुनवाई हेतु 1 मार्च 2010 को एवं से मुकदमों की संयुक्त मासिक सूची की दैनिक अनुपूरक सूची में मुकदमे का कोई जिक्र नहीं था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
3.	13.03.2010	09.03. 10	6.42	-	1	-	-	दिनांक 09.03.10 का उच्च न्यायालय, कलकत्ता का आदेश अधिवक्ता की पेशी को नहीं दर्शाता है।
4.	27.03.2010	17.03.10, 18.03.10, 23.03.10	2.02	1	2	-	-	दिनांक 17.03.10 एवं 18.03.10 के उच्च न्यायालय कलकत्ता के आदेश अधिवक्ता की पेशी नहीं दर्शाते हैं। दिनांक 23.03.10 का कोई आदेश नहीं था।
5.	10.07.2010	16.04.10, 28.04.10, 05.05.10, 18.05.10	5.12	4	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र में उल्लिखित तारीखों में से किसी पर भी कलकत्ता उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं था।
2010 का एमएटी सं. 1521 (एफ़एमए 16 के रूप में फिर से संख्या दिया गया) डॉ. पूषन मजूमदार – बनाम – भारत संघ एवं 11 अन्य सदृश्य मुकदमे।								
6.	13.04.2011	04.01.11, 25.01.11, 07.02.11	3.84	3	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थें।
7.	20.08.2011	28.02.11, 07.03.11, 14.03. 11	3.84	3	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थें।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
8.	02.09.2011	28.03.11, 29.03.11	2.55	2	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थें।
9.	01.02.2012	17.01.12, 01.02.12	2.56	2	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थें।
10.	03.03.2012	01.02.12, 02.02.12, 17.02.12, 18.02.12, 28.02.12	1.26	3	2	-	-	01.02.2012 के लिए पेशी को क्र. सं. 9 के विपत्र में भी दिखाया गया था। **इसलिए, उक्त तिथि के लिए भुगतान का दावा दो बार किया गया था।** दिनांक 01.02.12, 18.02.12 एवं 28.02.12 को उच्च न्यायालय कलकत्ता का कोई आदेश नहीं था। दिनांक 02.02.12 एवं 17.02.12 के आदेश से यह पाया गया कि आदेश में अधिवक्ता की पेशी का जिक्र नहीं किया गया था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
11.	28.04.2012	02.03.12, 07.03.12, 14.03.12, 16.03.12, 21.03.12, 23.03.12, 28.03.12, 30.03.12	2.02	7	1	-	-	14.03.12 को छोड़कर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थें। यहां तक की उल्लिखित तिथि को भी आदेश में अधिवक्ता की पेशी का उल्लेख नहीं किया गया था।
2012 की रिट याचिका सं. 8619 अशोक कु. रॉय – बनाम - आईएसीएस एवं अन्य (1521 के साथ विलय)								
12.	10.11.2012	02.05.12, 03.05.12, 10.05.12, 29.06.12, 03.07.12, 26.08.12, 28.08.12	1.18	4	3	-	-	दिनांक 03.05.12, 29.06.12, 03.07.12 एवं 26.08.12 को उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे । इसके अलावा, दिनांक 02.05.12, 10.05.12 एवं 28.08.12 के आदेशों से यह पाया गया कि आदेश में अधिवक्ता की पेशी का उल्लेख नहीं किया गया था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
2005 की रिट याचिका सं. 8517 (डबल्यू) श्री गोलोकबिहारी चटर्जी बनाम भू-अर्जन समाहर्ता एवं अन्य								
13.	21.05.2007	25.04.05, 27.04.05, 29.04.05, 02.05.05 , 05.05.05	0.34	4	1	-	-	05.05.05 को छोड़कर अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थें। उक्त तिथि पर भी, आदेश में अधिवक्ता की पेशी का उल्लेख नहीं किया गया था।
बोस संस्थान, कोलकाता								
2006 की रिट याचिका सं. 20437(डबल्यू)/ 2009 का सीएएन 274। कलिपद दास – बनाम – भारत संघ एवं अन्य								
14.	17.08.2009	19.12.08, 12.01.09, 21.01.09, 17.03.09, 25.03.09, 31.03.09, 20.05.09, 17.06.09, 15.07. 09, 22.07.09, 29.07. 09	1.23	11	-	-	-	इस मुकदमे के तहत दिनांक 19.12.2006 एवं 07.11.2006 के केवल दो आदेश थे। इसके अलावा, 2009 का सीएएन 274 इंस्टीट्यूट से संबंधित नहीं था।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
1997 की रिट याचिका सं. 10551(डबल्यू), पश्चिम बंग सेक्यूरिटी कर्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य								
15.	19.11.2011	04.01.11, 11.01.11, 18.01.11, 25.01.11, 07.02.11, 15.02.11, 22.02.11, 28.02.11, 08.03.11, 15.03.11, 22.03.11, 28.03.11, 29.03.11, 31.03.11	1.41	14	-	14	-	मुकदमे का निपटारा 15.1.10 को किया गया था। इसलिए, 15.01.2010 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।
16.	11.11.2009	08.08.08, 10.09.08, 19.09.08, 19.11.08, 26.11.08, 10.12.08, 19.12.08, 23.12.08, 21.01.09, 28.01.09, 19.02.09, 16.03.09, 30.03.09	1.68	13	-	-	-	मुकदमे के तहत, केवल दिनांक 21.05.1999, 30.06.1999, 29.07.1999 एवं 04.12.2009 के आदेश थे। इसलिए, विपत्र में वर्णित तारीखों पर पेशी के लिए किए गए दावे गलत थे।
2008 का एमएटी सं. 1436, तरुण चक्रबर्ती बनाम बोस इंस्टीट्यूट (2009 का एफ़एमए 300 के रूप में फिर से संख्या दिया गया)								
17.	5.8.2010	05.01.10, 06.01.10, 14.01.10, 19.02.10, 24.03.10, 31.03.10, 07.04.10, 21.04.10	0.89	8	-	8	-	मुकदमे का निपटारा 17.08.2009 को किया गया था। इसलिए, 17.08.2009 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
18.	06.09.11	21.01.11, 27.01.11, 15.02.11, 23.02.11, 28.02.11, 09.03.11, 16.03.11, 30.03.11, 31.03.11, 05.04.11, 12.04.11, 19.04.11, 27.04.11	1.31	13	-	13	-	मुकदमे का निपटारा 17.08.2009 को किया गया था। इसलिए, 17.08.2009 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।
19.	24.05.12	12.05.11, 15.06.11, 21.07.11, 22.07.11, 28.07.11, 29.07.11, 17.08.11, 18.08.11, 25.08.11, 07.09.11, 15.09.11, 22.09.11, 29.09.11, 30.09.11	1.65	14	-	14	-	मुकदमे का निपटारा 17.08.2009 को किया गया था। इसलिए, 17.08.2009 के बाद की तारीखों के लिए किए गए दावे कपटपूर्ण थे।
2007 की रिट याचिका सं. 27359 (डबल्यू), श्यामल कुमार घोष एवं एएनआर बनाम भारत संघ एवं अन्य।								
20.	10.03.2009	15.04.08, 22.04.08, 29.04.08, 30.04.08, 06.05.08, 15.05.08, 16.07.08, 23.07.08, 24.07.08, 31.07.08, 20.08.08	1.23	11	-	-	-	अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विपत्र में वर्णित किसी भी तारीखों पर उच्च न्यायालय कलकत्ता के कोई आदेश नहीं थे।

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
2003 की रिट याचिका सं. 6415 (डबल्यू), शांति सरकार एवं एएनआर बनाम भारत संघ एवं अन्य।								
21.	20.02.2010	19.02.08, 19.03.08., 25.06.08, 21.08.08, 19.12.08, 21.01.09, 19.02.09, 25.03.09.	0.9	8	-	-	-	इस मुकदमे के तहत, केवल एक आदेश 17.06.2003 को पारित किया गया था। कोई आदेश इसके बाद पारित नहीं किया गया था।
2009 का सीएएन सं. 274 राधा देवी बनाम नरेंद्र सिंह एवं एएनआर								
22.	05.08.2010	11.01.10, 12.01.10, 13.01.10, 14.01.10, 15.02.10, 16.02.10, 22.02.10, 23.02.10, 23.03.10, 30.03.10, 05.04.10, 26.04.10	1.35	-	-	-	12	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.
23.	22.01.2011	07.06.10, 08.06.10, 14.06.10, 15.06.10, 28.06.10, 29.06.10, 12.07.10, 13.07.10, 23.07.10, 30.07.10, 12.08.10, 19.08.10, 24.08.10 , 31.08.10	1.57	-	-	-	14	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.

क्र. सं.	विपत्र की तारीख	विपत्र में दावा की गई पेशी की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	तारीखों की संख्या जिसमें सुनवाई नहीं हुई	तारीखों की संख्या जिसमें अधिवक्ता के नाम का उल्लेख न्यायालय के आदेश में नहीं किया गया था	मुकदमे का न्यायालय द्वारा निपटारा किए जाने की तिथि के बाद की तारीखों की संख्या	मुकदमा, जो की संस्थान से संबंधित नहीं था, के संबंध में तारीखों की संख्या	टिप्पणियां
24.	31.03.2012	19.05.11, 22.06.11, 29.06.11, 18.08.11, 30.08.01, 05.09.11, 07.09.11, 21.09.11, 22.09.11, 28.09.11, 29.09.11, 02.11.11, 03.11.11, 15.11.11, 16.11.11, 17.11.11	1.88	-	-	-	16	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.
25.	04.08.2012	04.01.12, 05.01.12, 10.01.12, 11.01.12, 18.01.12, 19.01.12, 24.01.12, 25.01.12, 01.02.12, 02.02.12, 07.02.12, 09.02.12	1.41	-	-	-	12	यह मुकदमा संस्थान से संबंधित नहीं था.
	कुल		**54.93**	**144**	**10**	**49**	**54**	

परिशिष्ट IX (पैराग्राफ 4.3 के संदर्भ में)

जिओसैट/आई.आर.एस. ठेकों में सुपुर्द करने योग्य की आपूर्ति की स्थिति तथा अतिरिक्त व्यय

तालिका 1 : जिओसैट ठेका

क्र. सं.	संरचना का नाम	सैटेलाइट	ड्राइंग संख्या	मात्रा	सुपुर्दगी तारीख	वर्ष	श्रमघंटे	दर (₹ में)	प्रदत्त राशि (₹ लाख में)	60,000 से अधिक श्रमघंटे	राशि (₹ लाख)
1.		ब्रेकेट तथा विविध संघटक				03-04	12,474.34	700	87.32		
2.	अंतिम संयोजन	इनसैट-4ए	INS3-SR-120-000	1	मई 2004	04-05	10,119.07	700	70.83		
3.	अंतिम संयोजन आइएनएस-2 के	इनसैट 4सी	INS3-SR-150-000	1	अगस्त 2005	05-06	16,966.11	700	118.76		
4.	अंतिम संयोजन आईएनएस-3 के	इनसैट 4बी	INS3-SR-170-000	1	अगस्त 2005	05-06					
5.	अंतिम संयोजन आइएनएस-3के	1-3के-एस.टी.एम.	INS3-SR-170-000	1	अगस्त 2006	06-07	23,571.97	749	176.55	3,131.49	23.46
6.	अंतिम संयोजन आइएऩएस-2 के	इनसैट 4 सी.आर.	INS3-SR-150-000	1	दिसम्बर 2006	06-07					
7.	अंतिम संयोजन आइएनएस-2 के	जीसैट 4	INS3-SR-150-000	1	फरवरी 2007	06-07					
8.	अंतिम संयोजन	डब्लयू.2एम.	INS3-SR-170-000	1	सितम्बर 2007	07-08	20,259.52	801	162.28	20,259.52	162.28
उपजोड़-1 (मार्च 2008 तक सुपुर्दगियां)				7			83,391.01	-	615.74		

9.	अंतिम संयोजन	एच.वाई.एल.ए.एस.	INS2-SR-157-000	1	अगस्त 2008	08-09	9,000.00	801	72.09	9,000.00	72.09
10.	अंतिम संयोजन	इनसैट 3 डी	INS2-SR-150-000	1	दिसम्बर 2008	08-09					
11.	अंतिम संयोजन	जीसैट 5पी	INS2-SR-154-000	1	फरवरी 2010	09-10	2,550.30	950	24.23	2,550.30	24.23
उपजोड़-2 (मार्च 2008 के बाद सुपुर्दगियां)				3			11,550.30	-	96.32		
जोड़							94,941.31	-	712.06	34,941.31	282.06

तीन जिओसैट संरचनाएं मार्च 2008 के बाद संयोजित की गई थी जिससे होने पर एचएएल को ₹ 3.80 लाख की राशि लाभ हुआ था जो कि वृद्धि खण्ड के लागू होने के कारण ₹ 24.23 (2550.30*801) के बराबर है।

तालिका-2: आई.आर.एस. अनुबंध

क्र. सं.	संरचना का नाम	सैटेलाइट	ड्राइंग संख्या	मात्रा	सुपुर्दगी तारीख	वर्ष	श्रमघंटे	दर (₹ में)	प्रदत्त राशि (₹ लाख में)	60,000 से अधिक श्रमघंटे	राशि (₹ लाख)
1.						2003-04	7,777.09	700	54.44		
2.	अंतिम संयोजन-कार्टोसैट	कार्टो-2	CARTO-SR-40,000	1	अक्टूबर 2004	2004-05	7,924.59	700	55.47		
3.	अंतिम संयोजन-कार्टोसैट	कार्टो-2	CARTO-SR-40-000	1	जून 2005	2005-06					
4.	अंतिम संयोजन-एसआरई	एस.आर.ई.	SRE-SR-30,000	1	जुलाई 2005	2005-06	9,474.76	700	66.32		
5.	अंतिम संयोजन-एसआरई	एस.आर.ई.	SRE-SR-30-000	1	दिसम्बर 2005	2005-06					
6.	अंतिम संयोजन-कार्टोसैट	कार्टो-2ए	CARTO-SR-40-000	1	जून 2006						
7.	अंतिम संयोजन-1-1.5 के	ओसन-2	IRS-SR-80-000	1	अगस्त 2006	2006-07	14,356.74	749	107.53		
8.	अंतिम संयोजन 1-1.5 के	चांद-1	IRS-SR-80-000	1	मार्च 2007						
9.	अंतिम संयोजन	अणुसैट	ANU-SR-052-000	1	मार्च 2007						
10.	अंतिम संयोजन	टी.डब्ल्यू. सैट-आई.एम.एस.	SMSAT-SR-060-000	1	नवम्बर 2007	2007-08	17,206.97	801	137.83		
उपजोड़-1 (मार्च 2008 के बाद सुपुर्दगियां)				9			56,740.15	-	421.59		

11.	अंतिम संयोजन	आर.आई.सैट	RISAT-SR-050-000	1	सितम्बर 2008	2008-09	8,731.24	801	69.94	5,471.39	43.83
12.	पेलोड संयोजन	मेगाट्राफिक्स	IRS-SR-60-000	1	अप्रैल 2009	2009-10	4,614.00	950	43.83	4,614.00	43.83
13.	अंतिम संयोजन	कार्टोस्टेट	CRTO-SR-40-000	1	मई 2009	2009-10					
14.	अंतिम संयोजन	यूथसैट-आई.एम.एस.	SMSAT-SR-060-000	1	फरवरी 2010	2009-10					
15.	अंतिम संयोजन	एस्ट्रोसैट	ASTRO-SR-060-000	1	मार्च 2010	2009-10					
16.	अंतिम संयोजन	सरल	SMSAT-SR-062-000	1	मई 2011	2010-11	1,030.00	1,016.50	10.47	1,030.00	10.47
17.	अंतिम संयोजन	सरल	IRS-SR-60-000	1	दिसम्बर 2011	2011-12	3,030.00	1,087.65	32.96	3,030.00	32.96
उपजोड़-2 (मार्च 2008 के बाद सुपुर्दगियां)				7			17,405.24	-	157.20		
जोड़				16			74,145.39	-	578.79		131.09

सात आईआरएस संरचनाए मार्च 2008 के बाद संयोजित की गई थी, जिससे एचएएल को ₹ 17.78 लाख, जो कि वृद्धि खण्ड लागू करने के कारण ₹ 43.83 – (4614*801)+ ₹ 10.47 – (1030*801)+32.96 – (3030*801) के बराबर था, का लाभ हुआ।

परिशिष्ट X (पैराग्राफ 6.1 के संदर्भ में)

किए गए सर्वेक्षणों, अध्ययनों एवं निकाले गए प्रकाशनों में भा.प्रा.स. के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

1. राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
1	गोआ	1993-2006	1993-2002	2007	उपलब्ध नहीं	2008	2008	यद्यपि अध्ययन के प्रारंभ और पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी फिर भी प्राणिजात संबंधी खातो का प्रकाशन राज्य के प्राणियों की श्रृंखला 16:1-531 के अंतर्गत किया बताया गया था।
2	तमिल नाडु	1995-2006	उपलब्ध नहीं	2008	उपलब्ध नहीं	2010	2009	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग संबंधी जीव खातो के दो संस्करणों को प्रकाशित (2009 और 2011) होने के लिए राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-17 (भाग-I) :1-256 और विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-17 (पार्ट -2) :1-418 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया ।
3	केरल	2000-2010	1999-2002	2011	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	सर्वेक्षण की अवधि 10 वर्ष से कटौती करके तीन वर्ष की गई। . एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा की आठ विशेष पशुवर्ग के पांडुलिपियों समीक्षा के अधीन थे एवं इनका प्रकाशन 2015-16 तक किया जाएगा।
4	आंध्रा प्रदेश	2001-2007	1998-2002	2009	उपलब्ध नहीं	2011	1993-2007	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग संबंधी जीव खातो के सात संस्करणों का राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-5 (खण्ड-1 से खण्ड-7) :1993-2007 में प्रकाशित होना बताया गया।
5	उत्तरप्रदेश	2001-2008	2005-2011	2010	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा की विशेष पशुवर्ग के पांडुलिपियों समीक्षा के अधीन थे एवं इनका प्रकाशन 2014-15 तक किया जाएगा।
6	उत्तराखंड	2002-2008	2000-2003	2010	उपलब्ध नहीं	2012	2010	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग संबंधी जीव खातो के तीन संस्करणों का 2010 मे राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-18 (भाग-I) :1-621, 18(भाग-2) :1-748 एवं 18(भाग-3) :1-307 होना बताया गया।

क्र. सं.	राज्य का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
7	हिमाचल प्रदेश	2004-2010	2009-2012	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा की वर्गीकरण अध्ययन को कार्य मे लाया गया है एवं हिमाचल प्रदेश के विशेष पशु वर्ग के अध्ययन का संग्रहण किया गया है एवं इसका प्रकाशन 2016-17 तक किया जाएगा।
8	चंडीगढ़	2007-2010	नहीं लाया गया	2011	नहीं लाया गया	2012	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की यह कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
9	महाराष्ट्र	2004-2010	2008-2012	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2012	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी महाराष्ट्र के विशेष पशुवर्ग के दो संस्करणों का प्रकाशन राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-20 (भाग-I :1-480 एवं 2:1-673) के अंतर्गत किया गया। भा.प्रा.स. ने केवल 2012 मे सर्वेक्षण पूर्ण किया है इनके उत्तरो को तथ्यों के प्रकाश मे लाये जाने की आवश्यकता है।
10	मध्यप्रदेश	2005-2010	1990-2003	2011	उपलब्ध नहीं	2012	2007-12	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग के खातो के तीन संस्करणों का प्रकाशन विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-15 (भाग-I :1-564; 2:1-152 एवं 3:1-202) के अंतर्गत 2007, 2008 एवं 2012 मे बताया गया।
11	छत्तीसगढ़	2005-2007	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2011	2007-12	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी विशेष पशुवर्ग के खातो के तीन संस्करणों का प्रकाशन विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-15 (भाग-I :1-564; 2:1-152 एवं 3:1-202) के अंतर्गत 2007, 2008 एवं 2012 मे बताया गया।
12	हरियाणा	2007-2010	2006-2011	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा की वर्गिकरण अध्ययन को कार्य मे लाया गया है एवं राज्य विशेष पशु वर्ग श्रृंखला के तहत हरियाणा के विशेष पशु वर्ग का संग्रहण किया गया है एवं इसका प्रकाशन 2016-17 तक किया जाएगा।
13	कर्नाटक	2006-2012	1998-2011	2014	2011	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की विशेष पशु वर्ग संबधी खातों का प्रकाशन 2013 मे हुआ था।

2. पारिस्थितिकी प्रणालिया

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
हिमालयन	1	पश्चिमी हिमालय: लद्दाख-जम्मू एवं कश्मीर	2004-2008	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2011	2005	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की पश्चिमी हिमालय के विशेष पशु वर्ग संबंधी खातो (भाग-1: 1-227) 1995 एवं (भाग-2: 1-359) 2005 मे प्रकाशित किए गए थे ।
	2	पश्चिमी हिमालय: पांगी घाटी, हिमाचल प्रदेश	2004-2007	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2011	2013	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, यह कहा गया की पांगी घाटी, चम्बा, हिमाचल प्रदेश की विशेष पशुवर्ग संबंधी विविधता हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-3: 1-120 के अंतर्गत 2013 मे प्रकाशित की गई थी।
मरुस्थल	3	राजस्थान	1999-2003	उपलब्ध नहीं	2005	उपलब्ध नहीं	2007	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, यह कहा गया की विभिन्न विशेष पशुवर्ग संबंधी वर्गो के खातो का प्रकाशन कर दिया गया था। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खातो का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	4	गुजरात	2004-2008	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, फिर भी गुजरात के विशेष पशुवर्ग के दो संस्करणों का प्रकाशन राज्य विशेष पशुवर्ग श्रृंखला-8(भाग-I :1-464 (2000) एवं भाग-2: 1-427 (2004) के अंतर्गत किया गया। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के खातो का प्रकाशन नहीं किया गया था।
समुद्री और द्वीप	5	अंडमान और निकोबार	2001-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विशेष पशु वर्ग संबंधी खातो का प्रकाशन राज्य विशेष पशु वर्ग संबंधी श्रृंखला-19 (1) : 1-300 के तहत 2010 मे किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	6	पूर्वी तट: आंध्र प्रदेश	2003-2008	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की आंध्र प्रदेश के वांसधारा एवं नागवली ज्वारनदमुख के जीव का प्रकाशन ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-6: 1-113 (2010) कृष्णा ज्वारनदमुख के विशेष पशु वर्ग ईईएस-5:1-298(2009) के अंतर्गत किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	7	पूर्वी तट: ओड़ीसा	2007-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	यद्यपि एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की ब्राह्मणि बैतरनी मिश्रित ज्वारनदमुख एवं नुवानाइ मुहाना, ओड़ीसा के डेकोपोड जलीय विशेष पशु वर्ग संबंधी खातो का प्रकाशन ज्वारनदमुख पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-8: 1-64(2013) के अंतर्गत किया गया। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	8	पश्चिमी तट: केरल	2007-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की केरल के वेंबनाड झील के जीव संबंधी विविधता के खातो का प्रकाशन आद्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-10: 1-192 (2009) के अंतर्गत किया गया था । यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन	9	पश्चिमी घाट, केरल	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की पश्चिमी घाट के स्थानिक उभयचर के मानचित्र का प्रकाशन विशेष प्रकाशन श्रृंखला-34 : 1-220 (2013) के अंतर्गत किया गया था । यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों पर पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	10	पश्चिमी घाट, तमिलनाडु	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2010	उपलब्ध नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की तमिलनाडू के जीव के दो संस्करणों का प्रकाशन (2009 एवं 2011) राज्य विशेष पशु वर्ग श्रृंखला-17(भाग-1 : 1-256; राज्य विशेष पशु वर्ग श्रृंखला-17(भाग-2 : 1-418 के अंतर्गत किया गया था एवं पश्चिमी घाट के स्थानिक उभयचर के मानचित्र का प्रकाशन विशेष प्रकाशन श्रृंखला-34 : 1-220 (2013) के अंतर्गत किया गया था जिसमे तमिलनाडू के पश्चिमी घाट के विशेष पशु जीव संबंधी आकड़े समाहित थे । यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	11	पश्चिमी घाट, कर्नाटक	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2011	उपलब्ध नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	यद्यपि सर्वेक्षण और अध्ययन के प्रारंभ होने की स्थिति दर्शायी नहीं गयी थी, एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की कर्नाटक के जीव का प्रकाशन (2013) राज्य जीव श्रृंखला-21 : 1-595 के अंतर्गत किया गया था जिसमे कर्नाटक के पश्चिमी घाट के विशेष पशु जीव संबंधी आकड़े समाहित थे । यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
मुहानों	12	कृष्णा नदी के मुहाने, आंध्र प्रदेश	1996-2003	1996-2008	2005	उपलब्ध नहीं	2007	2009	लेखा परीक्षा ने पाया कि जीव संबंधी खातो ने योजना के अनुसार आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया ।
	13	बाँसधारा, नागवेली मुहाना, आंध्र प्रदेश	2000-2003	2000-2008	2005	उपलब्ध नहीं	2007	2010	लेखा परीक्षा ने पाया की जीव संबंधी खातो ने योजना के अनुसार आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया ।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	14	कावेरी नदी के मुहाने, तमिलनाडु	2004-2007	2008-2011	2011	पूर्ण नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की सर्वेक्षण पूर्ण कर लिए गए थे, वर्गीकरण अध्ययन जारी थे एवं दस्तावेजो का संकलन एवं प्रकाशन की उम्मीद 2015-16 तक की जा सकती है।
	15	पेन्नार नदी के मुहाने, आंध्र प्रदेश	2008-2010	2011-2014	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की सर्वेक्षण पूर्ण कर लिए गए थे, वर्गीकरण अध्ययन जारी थे एवं दस्तावेजो का संकलन एवं प्रकाशन की आशातीत 2015-16 तक है।
ताजा पानी	16	नलसरोवर, गुजरात	1998-2003	1998-2007	2005	उपलब्ध नहीं	2007	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की नल सरोवर, गुजरात के जीव संबंधी खातो का प्रकाशन आद्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला-11 : 1-137 (2009) के अंतर्गत किया गया था । यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया की ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	17	क्रटर लेक, महाराष्ट्र	2000-2005	2000-2007	2007	उपलब्ध नहीं	2009	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की महाराष्ट्र लुनर वन्य जीव अभ्यारणय के जीव संबंधी खातो का प्रकाशन संरक्षण क्षेत्र श्रृंखला-37 : 1-208 (2008) के अंतर्गत शोध पत्रों के साथ किया गया था। यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची से पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	18	गोविंद सागर, पंजाब	2001-2004	2002-2007	2006	पूर्ण नहीं	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे, एवं गोबिंद सागर, पंजाब के जीव संबंधी खातो का संकलन एवं प्रकाशन 2015-16 तक कर लिए जायेंगे।
	19	चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश	2002-2004	नहीं लिया गया	2006	नहीं लिया गया	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया था।
	20	पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमियाँ	2003-2006	उपलब्ध नहीं	2007	पूर्ण नहीं	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे, एवं पूर्वी आद्रभूमि, कोलकाता के जीव की पहचान एवं संग्रहण किया जा रहा था एवं इनसे संबंधित दस्तावेजों प्रकाशन 2015-16 तक कर लिए जायेंगे।

पारिस्थिति की तंत्र के प्रकार	क्र. सं.	पारिस्थितिकी तंत्र के नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
	21	सोमोराइ, जम्मू और कश्मीर	2004-2006	नहीं लिया गया	2008	नहीं लिया गया	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (2014 मार्च) कहा की अपेक्षित विशेषज्ञता की अनुपलब्धता के कारण अध्ययन नहीं किया जा सका।
	22	भोज, मध्य प्रदेश	2006-2009	2005-2006	2011	उपलब्ध नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरण से यह देखा गया की सर्वेक्षण की पूर्णता सर्वेक्षण के प्रारंभ होने की अवधि से पहले ही पूर्ण हो गई थी। एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की प्रजातियों की पहचान मध्य प्रदेश के राज्य जीव संबंधी खातो के भाग-3 मे समाहित थी। लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची में पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	23	केवलादेव घाना, राजस्थान	2006-2009	1998-2007	2011	उपलब्ध नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (2014 मार्च) कहा की अध्ययन के भाग का प्रकाशन शोध पत्र के रूप मे : शर्मा जी (2011) विविधता पर अध्ययन, राजस्थान के अरावली शृंखला के चार संरक्षित निवास में दमसेलफ़ीस एवं ड्रैगनफ्लाइस की स्थिति एवं संरक्षण तथा जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में उनकी भूमिका कीट विज्ञान की पत्रिका. 24 (विशेष अंक): 45-50 मे हुआ । लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची में पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	24	रोपर, पंजाब	2006-2008	2005-2007	2010	उपलब्ध नहीं	2012	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की शोध पत्र का प्रकाशन किया गया, यद्यपि लेखा परीक्षा ने 2014 की भा.प्रा.स. की सूची में पाया कि ताजा जल पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का प्रकाशन नहीं किया गया था।
	25	नारायण सरोवर	2007-2009	उपलब्ध नहीं	2011	पूर्ण नहीं	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) मे कहा की वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे, एवं नारायण सरोवर के जीव संग्रहण एवं प्रकाशन 2015-16 तक कर लिए जायेंगे।

3. संरक्षित क्षेत्र

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
1	हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू और कश्मीर	2000-2007	1997-2006	2008	उपलब्ध नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	यद्यपि अध्ययन की पूर्णता का विवरण दर्शाया नहीं गया था, एमओईएफ़ ने बताया की दस्तावेजो का प्रकाशन 1. पलीवल, आर. (2008). हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के केंचुएँ, जम्मू और कश्मीर, भारत भा.प्रा.स. रेकॉर्ड्स खण्ड 108(3) में किया गया। 2. टेक, पी.सी. शर्मा, डी.के. ठाकुर, एम.एल. सैकाई, उत्तम (2009). लद्दाख के पक्षी एवं उनकी स्थिति का विश्लेषण खण्ड-109 के रूप मे हुआ। जीव संबंधी खातो के प्रकाशन के उत्तर मे उन्होने चुप्पी साध ली ।
2	ठेट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य, केरल	2006-2008	पूर्ण नहीं	2009	पूर्ण नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा कि संरक्षित क्षेत्र मे प्रवेश का अनुमति नहीं मिल पाने के कारण कार्यक्रम को अंतिम रूप से छोड़ दिये जाने कि सिफारिश पीएसी से की गयी थी।
3	पंचमड़ी, मध्य प्रदेश	2004-2007	1999-2005	2008	उपलब्ध नहीं	2010	2009	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से पाच वर्ष पूर्व किया गया।
4	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश	2004-2008	2000-2004	2009	उपलब्ध नहीं	2010	2005	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।
5	ईटानगर वन्य जीवन अभयारण्य	2004-2008	2000-2010	2009	पूर्ण नहीं	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा कि वर्गीकरण अध्ययन पूर्ण किये जा रहे थे।
6	पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश	2004-2008	2000-2005	2009	उपलब्ध नहीं	2010	2008	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
7	हजारीबाग नेशनल पार्क, झारखंड	2004-2008	2000-2007	2009	2007	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा कि दस्तावेज़ समीक्षाधीन थे एवं पाण्डुलिपियों का प्रकाशन 2015 तक हो जाएगा।
8	ताले घाटी वन्य जीवन अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश	2002-2004	2002-2004	2006	पूर्ण नहीं	2008	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा कि वर्गीकरण अध्ययन संचालन विशेषज्ञता कि कमी के कारण नहीं हो पाया था।
9	बंनेर्घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बेंगलुरू	2002-2004	2002-2006	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
10	कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड	2002-2004	2002-2006	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2008	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
11	तालचप्पेर वन्य जीवन अभयारण्य, राजस्थान	2002-2004	2002-2006	2005	उपलब्ध नहीं	2007	2010	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
12	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश	2002-2005	2002-2007	2007	2007	2009	2010	-
13	मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और	2002-2004	1996-2004	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
	निकोबार द्वीप समूह							
14	उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2002-2004	1996-2004	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से पाच वर्ष पूर्व किया गया।
15	दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2002-2004	1996-2004	2006	उपलब्ध नहीं	2008	2007	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था। सर्वेक्षण निर्धारित योजना से चार वर्ष पूर्व किया गया।
16	लवलंग वन्य जीवन अभयारण्य, झारखंड	2003-2005	Not taken up	2007	नहीं लिया गया	2009	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र मे वैज्ञानिक विशेषज्ञता कि कमी के कारण प्रस्तावित नहीं था।
17	पलामू नेशनल पार्क, झारखंड	2004-2008	Not taken up	2008	नहीं लिया गया	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (मार्च 2014) कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र मे वैज्ञानिक विशेषज्ञता कि कमी के कारण प्रस्तावित नहीं था।
18	महुआदौर वन्य जीवन अभयारण्य, झारखंड	2004-2006	Not taken up	2008	नहीं लिया गया	2010	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने (2014) मे स्वीकार किया कि महौदौर वन्य जीवन अभयारण्य, झारखंड के जीव संबंधी सर्वेक्षण भा.प्रा.स. द्वारा अब तक नहीं किया गया था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
19	भीमशंकर वन्य जीवन अभयारण्य, महाराष्ट्र	2004-2007	2004-2006	2009	उपलब्ध नहीं	2011	2009	भा.प्रा.स. के पास अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं था।
20	देबांग-देबांग, अरुणाचल प्रदेश	2005-2009	नहीं लिया गया	2011	नहीं लिया गया	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
21	माहाओ वन संरक्षण, अरुणाचल प्रदेश	2005-2007	नहीं लिया गया	2009	नहीं लिया गया	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
22	सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2005-2007	2011-2014	2009		2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूरे किए जा रहे थे एवं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का प्रकाशन 2015-16 में किया जाएगा।
23	नोंगख्यलिएम वन जीव अभयारण्य, मेघालय	2005-2007	2012-2015	2009	पूर्ण नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूरे किए जा रहे थे एवं नोंगख्यलिएम वन जीव अभयारण्य, मेघालय के जीव का प्रकाशन 2015-16 में किया जाएगा।
24	सिजू वन जीव अभयारण्य, मेघालय	2005-2007	उपलब्ध नहीं	2009	पूर्ण नहीं	2011	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूरे किए जा रहे थे एवं सिजू वन जीव अभयारण्य, मेघालय के जीव का प्रकाशन 2015-16 में किया जाएगा।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
25	फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड	2005-2007	उपलब्ध नहीं	2009	उपलब्ध नहीं	2011	उपलब्ध नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि फूलो की घाटी के जीव संरक्षित क्षेत्र पर एमओईएफ़ परियोजना के हिस्से के रूप में विस्तृत अध्ययन किया गया था और 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। शोध-पत्र का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
26	इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छतीसगढ़	2006-2008	नहीं लिया गया	2010	नहीं लिया गया	2012	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के, छतीसगढ़ के जीव (जो 2005 में नहीं किया गया) को प्रस्तावित किया गया था। यद्यपि, अध्ययन क्षेत्र में गड़बड़ी करने के कारण अध्ययन नहीं किया जा सका था।
27	सिमलीपाल, ओड़ीशा	2006-2008	2001-2003	2010	उपलब्ध नहीं	2012	2006	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संरक्षण क्षेत्र क्रम- 28:1-87(2006) के अंतर्गत सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के जीव संबंधी संसाधनों के रूप में जीव संबंधी खातों को प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, पीएसी के योजना के पूर्व ही सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से भी संबंधित था।
28	कलिकड़, तमिलनाडु	2006-2008	2012-2014	2010	उपलब्ध नहीं	2012	2009-11	भा.प्रा.स. के साथ अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं थे।
29	नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र	2006-2009	उपलब्ध नहीं	2011	उपलब्ध नहीं	2013	2012	भा.प्रा.स. के पास सर्वेक्षण एवं अध्ययन के संचालन का विवरण उपलब्ध नहीं है।
30	गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, बिहार	2007-2009	नहीं लिया गया	2011	नहीं लिया गया	2013	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
31	सोननदी वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश	2007-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च, 2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
32	रानी झाँसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2012	भा.प्रा.स. के पास सर्वेक्षण एवं अध्ययन के संचालन के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
33	पूर्व अथवा इंग्लिस द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	2007-2011	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि 2015-16 में जीव संबंधी खातों को प्रकाशित किया जाएगा।
34	महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	2005-2008	2012	पूर्ण नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि वर्गीकरणात्मक अध्ययन पूर्ण किए जा रहे थे एवं महात्मा गांधी मरीन के राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जीव को 2016-17 में प्रकाशित किया जाएगा।
35	अरीयल द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2008-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
36	सरिस्का बाघ संरक्षण, राजस्थान	2008-2010	2003-2006	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2012	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि दस्तावेज़ प्रकाशित किए गए थे, यद्यपि जीव संबंधी खातों के प्रकाशन के बारे में जवाब मौन था। जैसा कि पीएसी की योजना के पूर्व ही सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से भी संबंधित था।
37	पाखुली वन संरक्षण, अरुणाचल प्रदेश	2008-2010	2002-2011	2012	उपलब्ध नहीं	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि पांडुलिपि तैयारी के अधीन था एवं 2016-17 में प्रकाशित किया जाएगा।
38	मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम	2008-2010	उपलब्ध नहीं	2012	उपलब्ध नहीं	2014	1995*	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि बाघ संरक्षण (सुंदरवन, पलामू, सिमलीपाल एवं मानस) के अंतर्गत कुछ जीव संबंधी समूहों का सर्वेक्षण, अध्ययन और प्रकाशन शोध-पत्र 1995 में किया गया था। प्राणिजात के संरक्षण क्षेत्रों की सं. 8.1-105 है। शोध-पत्र की तिथि इंगित करता है कि यह पिछले एक सर्वेक्षण से संबंधित है।
39	बरनादी वन्य जीव अभयारण्य, , असम	2008-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
40	पॉइंट कीलिमोर वन्य जीव अभयारण्य, , तमिलनाडु	2008-2010	2003-2006	2012	उपलब्ध नहीं	2014	2006	भा.प्रा.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में, यह देखा गया था कि निर्धारित समय के पूर्व ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। एमओईएफ़ (मार्च,2014) ने कहा कि संरक्षण क्षेत्र क्रम सं.31:1-62 (2006) के रूप में प्वाइंट कलिमेयर वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य के नभचर संरचना, तमिलनाडु को प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, जैसा कि पीएसी के योजना के पूर्व ही सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से भी संबंधित था।
41	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश	2008-2010	नहीं लिया गया	2012	नहीं लिया गया	2014	प्रकाशित नहीं	एमओईएफ़ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	सर्वेक्षण		अध्ययन		प्रकाशन		टिप्पणियाँ
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
42	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश	2008-2011	उपलब्ध नहीं	2013	उपलब्ध नहीं	2015	बकाया नहीं	एमओईएफ़ ने कहा (मार्च,2014) कि एक शोध पत्र 2006 में प्रकाशित किया गया था। यद्यपि, जैसा कि 2008-11 के लिए सर्वेक्षण की योजना बनाई गई थी, यह स्पष्ट है कि शोध-पत्र पिछले अवधि से संबंधित था।
43	जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, राजस्थान	2009-2011	नहीं लिया गया	2013	नहीं लिया गया	2015	बकाया नहीं	एमओईएफ़ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
44	संदसपुर वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश	2009-2012	नहीं लिया गया	2014	नहीं लिया गया	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ़ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।
45	दाल्मा वन्य जीव अभयारण्य, झारखंड	2010-2012	1999-2012	2014	उपलब्ध नहीं	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ़ ने कहा (मार्च,2014) कि तितलियों और डालमा डबल्यूएलएस के पतिंगे पर वर्गीकरणात्मक अध्ययन का शोध-पत्र का प्रकाशन 2014-15 में किया जाएगा।
46	राजगीर वन्य जीव अभयारण्य, बिहार	2010-2012	नहीं लिया गया	2014	नहीं लिया गया	2016	बकाया नहीं	एमओईएफ़ ने कहा (मार्च,2014) कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी के कारण कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था।

AMC
USE ME

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
वेबसाइट : www.cag.gov.in